2025:CGHC:53179–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1475/2019

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 21.08.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 31.10.2025

अजय कुमार बारिक, पिता देवारो बारिक, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी– ग्राम टेमरी, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

...अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा चौकी बलौदा, थाना– सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

...प्रत्यर्थी/राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री एच. बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में सुश्री ए. संध्या राव, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से	:	सुश्री एन. के. कश्यप, पैनल अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे,

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

सी ए वी निर्णय

द्वारा, रजनी दुबे**, न्यायाधीश**

1. यह अपील विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, महासमुंद, जिला–महासमुंद (छ.ग.) द्वारा विशेष (अत्याचार) सत्र विचारण क्रमांक एच–23/2017 में दिनांक 25.09.2019 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से और जिसके अधीन अपीलार्थी को अपराध कारित करने हेतु दोषसिद्ध किया गया है एवं निम्नानुसार दंडित किया गया है:–

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(ढ) सहपठित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा	आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000/– रुपये अर्थदंड; अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा पर, दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

3 (2) (v)	

2. अभियोजन का प्रकरण, जैसा कि आक्षेपित निर्णय और प्रकरण के अभिलेखों से प्रकट होता है, यह है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता/अभियोक्त्री के साथ दिनाँक 17.04.2017 से डेढ़ वर्ष पूर्व विवाह का झूठा झांसा देकर लैंगिक संबंध बनाए थे और इसके फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। अपनी गर्भावस्था की जानकारी होने पर, उसने अभियुक्त– अजय बारिक के साथ प्रेम प्रसंग होने की बात स्वीकार की। दिनांक 13–04–2017 को, जब वह अभियुक्त के घर गई, तो उसके परिवार के सदस्यों ने उसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम लेने का सुझाव दिया। दिनांक 16–04–2017 को, वे ग्राम पंचायत की बैठक में उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए, यद्यपि, दिनांक 17–04–2017 को उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और वे वह घर छोड़ कर चले गए, इसलिए उसने पुलिस चौकी– बलौदा में एक लिखित शिकायत (प्रदर्श पी/1) दर्ज कराई। इसी आधार पर, पुलिस चौकी–बलौदा में शून्य नंबर पर एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/2) दर्ज की गई। उसका सहमति पत्र (प्रदर्श पी/3) प्राप्त करने के बाद, उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अभियोजन का आगे का प्रकरण यह है कि जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी/4) के अनुसार, शिकायतकर्ता/अभियोक्त्री का जाति प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी/5) जब्त किया गया, घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी/6) तैयार किया गया, अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, अभियोक्त्री और उसके शिशु का डी.एन.ए. परीक्षण कराया गया, साक्षियों का परीक्षण किया गया और उनके केस डायरी कथन अभिलिखित किए गए तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. समूचित और आवश्यक विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु उपार्पित किया। अभियोग–पत्र में निहित सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (ढ) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के अधीन कथित अपराध के लिए आरोप विरचित किए। अपीलार्थी द्वारा दोष स्वीकार न किए जाने के कारण उसपर विचारण चलाया गया।

4. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को स्थापित करने के लिए, अभियोजन ने अभियोक्त्री सहित कुल 14 साक्षियों का परीक्षण किया है। अपीलार्थी का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध विरचित अभियोगात्मक आरोपों से इनकार किया और निर्दोष होने का तर्क देते हुए अभिवाक किया कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। हालाँकि, उसने अपने बचाव में एक साक्षी प्रस्तुत किया है।

5. संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विवेचन के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध और दंडित किया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश की सत्यता एवं वैधता को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश त्रुटिपूर्ण, अवैध तथा तथ्यों एवं विधि के विपरीत है। अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ कोई बलपूर्वक लैंगिक संबंध नहीं बनाया था, इसके विपरीत आक्षेपित निर्णय के कण्डिका 9 के अनुसार, अभियोक्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि जब भी उसे अवसर मिलता था, वह अभियुक्त को फोन करती थी क्योंकि वे दोनों एक–दूसरे से प्रेम करते थे; वह उनके मिलने का समय तय करती थी ताकि अपीलार्थी सावधानी से आ सके। इसके अतिरिक्त, वे प्रायः उसके घर की बाड़ी में स्थित शौचालय में शारीरिक संबंध बनाते थे। यह भी तर्क किया गया कि वे दोनों प्रेम पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे, इसलिए अभियोक्त्री के सम्मति देने वाली पक्षकार होने के कारण, अपीलार्थी को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषसिद्ध करने का कोई प्रकरण नहीं बनता है। साथ ही, यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उसके घर में कई कमरे होने के बावजूद वह अपने माता–पिता के साथ सोती थी। उसके माता–पिता को उसकी गर्भावस्था के बारे में तब पता चला जब वह अपीलार्थी के साथ रहने के लिए उसके घर गई और अभियोक्त्री ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से शारीरिक संबंध बनाए क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता/अभियोक्त्री (अ.सा.–01) द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने में विलंब हुआ है, अर्थात उक्त घटना के डेढ़ वर्ष व्यतीत जाने के उपरांत, और इस संबंध में शिकायतकर्ता/अभियोक्त्री (अ.सा.–01) द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त होने का हकदार है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अनुराग सोनी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य**[1] के प्रकरण में और इस न्यायालय द्वारा **राजकुमार अगरिया विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य**[2] के प्रकरण में पारित निर्णयों का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत , राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया है और यह तर्क किया है कि अभियोजन ने अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन करने के पश्चात, अपीलार्थी को कथित अपराध के लिए उचित रूप से दोषसिद्ध किया है और दोषसिद्धि एवं दंडादेश के आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध नौशाद**[3] के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी और सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है।

---

1 (2019) 13 SCC 1
2 CRA No. 57 of 2022
3 (2013) 16 SCC 651

9. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (ढ) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए थे। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन करने के पश्चात अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दंडित किया।

10. अभियोक्त्री (अ.सा.–1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त उसके पड़ोस का रहने वाला है, इसलिए वह उसे बचपन से जानती है। वर्ष 2014 में जब वह दसवीं कक्षा में अध्ययन कर रही थी, तब उनके मध्य प्रेम संबंध था। वे मोबाइल फोन पर एक–दूसरे से बात करते थे और उनका प्रेम प्रसंग बढ़ता गया; अभियुक्त अजय बारिक ने यह कहते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए कि वह केवल उसी से विवाह करेगा और किसी और से नहीं। कुछ समय बाद, अभियुक्त ने उसके साथ लैंगिक संबंध बनाने के लिए उसकी सहमति प्राप्त कर ली क्योंकि वह उसे विवाह करने के भ्रम में रखकर लगातार उसे मनाने का प्रयास करता था, और अभियुक्त/अपीलार्थी उसे इसके लिए मनाने में सफल रहा, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। जब उसने अभियुक्त को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया, तो उसने कहा कि वह उसकी देखभाल करेगा। हालाँकि, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसे वचन दिए जाने के बाद पाँच महीने बीत गए, तब उसने उसे बताया कि अब वह 5 महीने की गर्भवती है, तब अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे रहने के लिए अपने घर बुलाया। तत्पश्चात, दिनांक 14.04.2017 को वह उसके घर रहने चली गई। दिनांक 16.04.2017 को उसके परिवार के सदस्यों ने एक बैठक बुलाई और अभियुक्त के पिता ने भी उक्त बैठक में भाग लिया और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, यद्यपि ग्रामीणों ने अभियुक्त के पिता को अगले दिन अर्थात् दिनांक 17.04.2017 की तारीख दी ताकि अभियुक्त अपने परिवार के साथ बैठक में उपस्थित हो सके; इसके विपरीत न तो अभियुक्त और न ही उसके परिवार के सदस्य उक्त बैठक में शामिल हुए और उसी दिन अर्थात् दिनांक 17.04.2017 को अभियुक्त ने उसे यह कहकर फुसलाया कि 'चलो विवाह करने के लिए कोर्ट चलते हैं' और उसने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया, कुछ दूर तक गाड़ी चलाई और फिर उसने उसे मोटरसाइकिल से धक्का दे दिया और वहाँ से भाग गया, तब वह चिल्लाई, उसके माता–पिता आए और उसके परिवार के सदस्य भी भाग गए। इसलिए, उसने पुलिस चौकी में प्रदर्श पी/1 के माध्यम से एक लिखित शिकायत दर्ज कराई और प्रदर्श पी/2 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई, जिसमें उसने 'A से A' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह बिंझवार जाति की है और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। पुलिस ने जब्ती पत्रक प्रदर्श पी/4 के अनुसार उसका जाति प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी/5) जब्त किया था।

11. अभियोजन ने अभियोक्त्री (अ.सा.–1) का एक जाति प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी/5) प्रस्तुत किया है, जिसे संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.11.2017 को जारी किया गया था और यह केवल छह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

महीने के लिए वैध था क्योंकि यह एक अस्थायी जाति प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र के परिशीलन से ज्ञात होता है कि इसे घटना के घटित होने के बाद जारी किया गया था। अभियोजन के अनुसार, घटना दिनांक 20.04.2017 से डेढ़ वर्ष पूर्व हुई थी और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/2) दिनांक 20.04.2017 को दर्ज की गई थी, जबकि जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा 17.11.2017 को अस्थायी आधार पर जारी किया गया था। अतः उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट है कि इसे अभियोक्त्री द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने के बाद प्राप्त किया गया था।

12. जहाँ घटना के घटित होने के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, उस विवाद्यक पर विचार करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **बाबूलाल पटेल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य**[4] के प्रकरण में दिनांक 15.05.2024 के आदेश के कण्डिका 6, 7 व 8 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> **6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को इस अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया है और इसके लिए शिकायतकर्ता के अस्थायी जाति प्रमाण पत्र का अवलंब लिया गया है, जिसे प्रदर्श पी–2 के रूप में चिह्नित किया गया है। यह तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.12.2002 को जारी किया गया था और इसकी अंतर्वस्तु से**
>
> **ज्ञात होता है कि यह अस्थायी रूप से जारी किया गया था, जबकि वर्तमान प्रकरण की घटना दिनांक 8.12.2002 को घटित हुई थी, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह अस्थायी जाति प्रमाण पत्र घटना की तिथि के पश्चात तहसीलदार से प्राप्त किया गया था।**
>
> **7. मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.6.2001, क्रमांक F.7–32/2000/ यहाँ अधिक सुसंगत है क्योंकि यह इस प्रकरण में प्रदर्श पी–2 के अस्थायी प्रमाण पत्र के जारी होने से पूर्व अस्तित्व में आया था। यह परिपत्र स्पष्ट करता है कि अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रथा को अब से समाप्त किया जा रहा है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उन असाधारण परिस्थितियों की चर्चा भी स्वयं परिपत्र में की गई है और वे निम्नानुसार हैं:**
>
> **(1) किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने हेतु। (2) शासकीय सेवा के लिए आवेदन करने हेतु। (3) साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए। (4) किसी शासकीय योजना में आवेदन करने हेतु।**
>
> **केवल इन चार अपवादिक परिस्थितियों में और वह भी तब जब जाति प्रमाण पत्र की तत्काल आवश्यकता हो, अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित था; इसके लिए विधिवत रूप से शपथ पत्र के साथ आवेदन करना होता था और तात्कालिकता का कारण दर्शाना होता था। परिपत्र आगे स्पष्ट करता है कि इस जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अधिकतम छह माह होगी और ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उनकी निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच की जाएगी और यदि आवेदक प्रमाण पत्र का पात्र नहीं पाया जाता है, तो उसका अस्थायी जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 CRA No. 648 of 2004

> **8. उपरोक्त उल्लेखित परिपत्र तब लागू था, जब तहसीलदार द्वारा शिकायतकर्ता का अस्थायी जाति प्रमाण पत्र, जिसे प्रदर्श पी–2 के रूप में चिह्नित किया गया है, जारी किया गया था। यह जाति प्रमाण पत्र एक दाण्डिक प्रकरण में शिकायतकर्ता की जाति प्रमाणित करने के लिए जारी किया गया था। स्पष्ट रूप से, इस अस्थायी जाति प्रमाण पत्र को जारी करने का प्रयोजन दिनांक 30.06.2001 के परिपत्र के अंतर्गत आच्छादित नहीं होता था। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रदर्श पी–2 के जाति प्रमाण पत्र का अवलंब लेने में त्रुटि की है, जो मध्य प्रदेश सरकार के दिनांक 30.06.2001 के मौजूदा परिपत्र के घोर उल्लंघन में जारी किया गया था। इस अवलोकन के आलोक में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रकरण में किसी भी विश्वसनीय दस्तावेज द्वारा शिकायतकर्ता की जाति विधिवत साबित नहीं हुई थी।**

13. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन एक गंभीर अपराध में फंसाने के लिए घटना के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है, अतः अपीलार्थी के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अभियोक्त्री (अ.सा.–1) ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसका अपीलार्थी के साथ प्रेम प्रसंग था। अभियोक्त्री के अनुसार, प्रतिपरीक्षण में उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि वे एक–दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते थे। कण्डिका 11 में, उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उनके मध्य शारीरिक संबंध सम्मति से बने थे क्योंकि उसका अपीलार्थी के साथ प्रेम प्रसंग था और उसने बताया कि शारीरिक संबंध अंधेरी रात में उसके घर के बाड़ी में स्थित शौचालय में बनाए गए थे। कण्डिका 12 में, उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जब भी उसे अवसर मिलता था, वह अभियुक्त को फोन करती थी और वह उनके मिलने का समय तय करती थी। वे ज्यादातर उसके घर के बाड़ी में स्थित शौचालय में मिलते थे, जहाँ वे शारीरिक संबंध बनाते करते थे। इसके अतिरिक्त, उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह बाड़ी का दरवाजा खोलती थी और अपीलार्थी को संकेत देते हुए शौचालय जाती थी ताकि वह प्रवेश कर सके, तदनुसार, अभियुक्त आता था और वे बातचीत करते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे और फिर वे दोनों अपने–अपने घर चले जाते थे।

15. अभियोक्त्री (अ.सा.–1) ने कथन किया कि उसने प्रदर्श पी/8 के माध्यम से डी.एन.ए. परीक्षण के लिए अपनी सहमति दी थी और प्रदर्श पी/9 के माध्यम से रक्त के नमूने के लिए भी सहमति दी थी। डी.एन.ए. रिपोर्ट (प्रदर्श पी/13) के अनुसार, अभियुक्त ही अभियोक्त्री के संतान का जैविक पिता है।

16. अभियोक्त्री (अ.सा.–1) के अनुसार, जब वह 05 माह की गर्भवती थी, तब अपीलार्थी ने उसे रहने के लिए अपने घर बुलाया था। इसके बाद, वह दिनांक 14.04.2017 को उसके घर रहने चली गई।

दिनांक 16.04.2017 को उसके परिवार के सदस्यों ने एक ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी के पिता उपस्थित थे और उन्होंने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया।

17. अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.–2) ने कथन किया है कि उनकी पुत्री अपीलार्थी के साथ उसके घर पर लगभग 04 दिनों तक रही। जब उनकी पुत्री अभियुक्त के घर रह रही थी, तब उन्होंने ग्रामीणों को ग्राम पंचायत की बैठक के लिए एकत्र किया और अभियुक्त के पिता, सरपंच तथा अन्य सदस्यों को भी आमंत्रित किया। अभियुक्त के पिता ने उस बैठक में कहा था कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वह उसे स्वीकार करेंगे और उन्होंने कहा था कि वह अगले दिन गाँव की बैठक बुलाएंगे, किंतु उन्होंने अगले दिन बैठक नहीं बुलाई और अभियुक्त ने उनकी पुत्री को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया, कुछ दूर तक गाड़ी चलाई और फिर अपने घर के सामने ही उसे मोटरसाइकिल से धक्का दे दिया और वहां से अपने मामा के घर, ग्राम कुन्चीपाली (ओडिशा) भाग गया।

18. अ.सा.–3 राजेश बाघ, जो ग्राम पंच हैं, ने भी अभियोक्त्री और उसके पिता के आरोपों का समर्थन किया है और कथन किया है कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में अभियुक्त के पिता को आमंत्रित किया गया था। चूंकि उक्त बैठक में अभियोक्त्री और अभियुक्त उपस्थित नहीं थे, इसलिए ग्रामीणों ने अगले दिन बैठक बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन अगले दिन बैठक आयोजित नहीं हो सकी और अभियुक्त भाग गया तथा उसने अभियोक्त्री को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया, कुछ दूर तक गाड़ी चलाई और फिर उसे उसके घर के सामने ही मोटरसाइकिल से धक्का दे दिया और वहाँ से फरार हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अ.सा.–4 फकीरो बाघ ने भी यह कथन करते हुए अभियोक्त्री और उसके पिता के आरोपों का समर्थन किया है कि ग्राम सभा की बैठक में अभियुक्त नहीं आया और फरार हो गया। अ.सा.–5 खीर सिंधु नायक ने कथन किया है कि बैठक में गाँव के लोग उपस्थित थे, अभियुक्त के पिता आए थे और कह रहे थे कि अभियुक्त/अजय घर पर नहीं है, वह अपने मामा के घर गया है, लड़की आई है और पिछले 3–4 दिनों से उसके घर पर रह रही है। ग्रामीणों ने उसे अजय को बुलाने के लिए कहा। तत्पश्चात, अभियुक्त/अजय बारिक घर आया, उसने अभियोक्त्री को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया, कुछ दूर तक गाड़ी चलाई और फिर उसे उसके घर के सामने ही मोटरसाइकिल से धक्का दे दिया और वहाँ से भाग गया तथा उसके पिता भी घर छोड़कर जा रहे थे।

20. अभियोक्त्री के पिता ने अभियुक्त/अजय के पिता को पकड़ा और उन्हें लेकर आए तथा गाँव में पुनः एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में अजय के पिता ने कहा कि अजय भाग गया है। तब ग्राम परिषद, अभियुक्त/अजय के चाचा और अन्य लोग अपीलार्थी को वापस लाने के लिए उसके मामा के गाँव गए और उन्होंने पाया कि अभियुक्त वहाँ से भी भाग गया था। जब सभी वापस लौटे, तो अभियुक्त के पिता ने कहा, "ठीक है, जब तक अपीलार्थी/अभियुक्त नहीं आ जाता, तब तक लड़की को उनके घर में रहने दो।" तत्पश्चात, अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

21. अभियोक्त्री (अ.सा.–1) के कथन और उसके आचरण से यह स्पष्ट है कि वह अपीलार्थी के कृत्य में सहमति देने वाली पक्षकार थी और अभियोजन ने अभियोक्त्री की आयु के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

22. अ.सा.–10 डॉ. श्रीमती सी.के. रोहल्लेदार ने अभियोक्त्री (अ.सा.–1) की आयु लगभग 20 वर्ष आकलित की है और प्रथम सूचना प्रतिवेदन(प्रदर्श पी/2) में भी, वर्ष 2017 में अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष लिखी गई है।

23. अतः, अभियोजन के अनुसार, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने की तिथि अर्थात् दिनांक 20.04.2017 से डेढ़ वर्ष पूर्व, वह वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी थी और डी.एन.ए. रिपोर्ट (प्रदर्श पी/13) ने इस तथ्य को साबित कर दिया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ही अभियोक्त्री के संतान का जैविक पिता है। अभियोक्त्री (अ.सा.–1) के अनुसार, उसने अभियुक्त के इस आश्वासन पर लैंगिक संभोग के लिए अपनी सम्मति दी थी कि वह उससे विवाह करेगा।

24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अनुराग सोनी (पूर्वोक्त)** के प्रकरण की कण्डिकाएँ 12 व 14 में निम्नानुसार अवधारित एवं अभिनिर्धारित किया गया है:–

> **"12. उपरोक्त निर्णयों का सार और निष्कर्ष यह होगा कि यदि यह स्थापित और साबित हो जाता है कि विवाह का वचन देने वाले अभियुक्त का प्रारंभ से ही विवाह करने की कोई आशय नहीं था और अभियोक्त्री ने अभियुक्त के इस आश्वासन पर लैंगिक संभोग के लिए सम्मति दी थी कि वह उससे विवाह करेगा, तो ऐसी सम्मति को भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अनुसार तथ्य के भ्रम पर प्राप्त की गई सम्मति कहा जा सकता है, और ऐसे प्रकरण में, ऐसी सम्मति अपराधी को मुक्त नहीं करेगी और ऐसे अपराधी के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन परिभाषित बलात्संग का अपराध कारित किया है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है।**
>
> **14. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए, अभियोजन यह प्रकरण साबित करने में सफल रहा है कि प्रारंभ से ही अभियुक्त का आशय अभियोक्त्री से विवाह करने की कभी नहीं था; उसने अभियोक्त्री से विवाह करने का झूठा वादा किया/वचन दिया और उस झूठे वचन पर उसने अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए; अभियोक्त्री ने प्रारंभ में प्रतिरोध किया था, यद्यपि, अभियुक्त के इस झूठे वचन पर विश्वास करते हुए कि वह उससे विवाह करेगा सम्मति दे दी और, इसलिए, उसकी सम्मति को भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अनुसार तथ्य के भ्रम पर आधारित सम्मति कहा जा सकता है और ऐसी सम्मति**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त को बलात्संग के आरोप और भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन अपराध से मुक्त नहीं करेगी।"

25. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान प्रकरण में भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ग्राम की बैठक से भाग गया और वह अभियोक्त्री को अपनी मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया, लेकिन बाद में उसने उसे उसके घर के सामने मोटरसाइकिल से धक्का दे दिया और अपने मामा के घर भाग गया, जो ओडिशा में स्थित है। इस प्रकार, यह सुस्पष्ट है कि वह निरंतर झूठा आश्वासन/झूठा वचन देता रहा और विवाह की किसी भी आशय के बिना शारीरिक संबंधों के लिए सम्मति देने हेतु अभियोक्त्री को फुसलाता रहा। अतः, अभियोजन ने इस तथ्य को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि अभियोक्त्री द्वारा दी गई सम्मति तथ्य के भ्रम पर आधारित थी और इसलिए, इसे ऐसी सम्मति नहीं कहा जा सकता जिससे अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन परिभाषित बलात्संग के आरोप से मुक्त किया जा सके, और अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

26. इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अनुराग सोनी (पूर्वोक्त)** के प्रकरण के कण्डिका 20 में निम्नानुसार अवधारित एवं अभिनिर्धारित किया गया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपरोक्त के दृष्टिगत और उपरोक्त दर्शित कारणों से, हमारा यह अभिमत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी–अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन उचित रूप से दोषसिद्ध किया है। हम भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी–अभियुक्त की दोषसिद्धि को भी यथावत रखते हैं। यद्यपि, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए,अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रदत्त '10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड को एतद्द्वारा घटाकर सात वर्ष का सश्रम कारावास' किया जाता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध किए जाने के सुसंगत समय पर निर्धारित न्यूनतम दण्ड था। फलस्वरूप, वर्तमान अपील को केवल दण्ड में उपरोक्त संशोधन तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

27. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(ढ) सहपठित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अधीन दोषसिद्धि एवं उसके अंन्तर्गत प्रदत्त दण्डादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और इसके स्थान पर उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(1) के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है तथा 07 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000/– रुपये के अर्थदण्ड जिसके संदाय में व्यतिक्रम होने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा से दण्डित किया

जाता है। अर्थदण्ड की राशि, यदि पूर्व ही जमा की जा चुकी है, तो उसे तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

28. यह व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 468 के अधीन उसके द्वारा पूर्व ही भुगत ली गई कारावास की अवधि के मुजरा का हकदार होगा। दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को केवल उपरोक्त दर्शित सीमा तक संशोधित किया जाता है।

29. अपीलार्थी के जमानत पर होने की सूचना है,अतः उसका जमानत बंधपत्र निरस्त किया जाता है और उसके दण्ड की शेष अवधि को भुगताए जाने हेतु उसे अभिरक्षा में लिया जाए।

30. इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए। इस निर्णय की एक प्रति सूचना और आवश्यक अनुपालन हेतु संबंधित जेल अधीक्षक को भी प्रेषित की जाए।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**